

प्रेषक,

अनिता मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

1-बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

2-लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3-डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2009

विषय:-विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2433/सत्तर-4-2008-40(18)/2008, दिनांक: 13 अगस्त, 2008 द्वारा प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल निम्नलिखित 03 विश्वविद्यालयों को उनकी समग्र शैक्षिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए वर्ष 2007-08 हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए उनके सम्मुख अंकित धनराशि कुल रूपये 3.00 करोड़ (रूपये तीन करोड़ मात्र) प्रोत्साहन अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान	प्रोत्साहन अनुदान (करोड़ रूपये में)
1	बुन्देलखण्ड वि०वि० झाँसी	प्रथम	1.50
2	लखनऊ वि०वि० लखनऊ	द्वितीय	1.00
3	डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि वि०वि० लखनऊ	तृतीय	0.50

2- उपरोक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के खाते में सीधे हस्तांतरित की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रोत्साहन अनुदान की राशि विश्वविद्यालय द्वारा भवन निर्माण, सड़क मरम्मत तथा भवनों की मरम्मत आदि मदों में ही व्यय की जा सकती है।

3- उक्त स्वीकृत अनुदान के बिल पर सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकार प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। स्वीकृत अनुदान का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा केवल उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-03-

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-24-राज्य विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाना-48-पूँजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान " के नामें डाला जायेगा।

7- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-964/दस-2009, दिनांक: 31 मार्च, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
(अनिता मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-912(1)/सत्तर-4-2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झॉंसी/लखनऊ।
- 5- वित्त अधिकारी, सम्बन्धित विश्वविद्यालय।
- 6- सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/उच्च शिक्षा अनुभाग-3 (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सरोज कुमार यादव)
अनु सचिव।

उत्तमजीव पति

वित्त अधिकारी

बृहद्विद्यालय विश्वविद्यालय

झांसी।

31/03/09

प्रेषक,

सरोज कुमार यादव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

✓1- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।

2- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

3- डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2010

विषय:- विश्वविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2008-09 की उपलब्धियों के आधार पर प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2433/सत्तर-4-2008-40(18)/2008, दिनांक: 13 अगस्त, 2008 द्वारा प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल निम्नलिखित 03 विश्वविद्यालयों को उनकी समग्र शैक्षिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए वर्ष 2008-09 हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए उनके सम्मुख अंकित धनराशि कुल रूपये 3.00 करोड़ (रूपये तीन करोड़ मात्र) प्रोत्साहन अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान	प्रोत्साहन अनुदान (करोड़ रूपये में)
1	बुन्देलखण्ड वि०वि० झाँसी	प्रथम	1.50
2	लखनऊ वि०वि० लखनऊ	द्वितीय	1.00
3	डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि वि०वि०, लखनऊ	तृतीय	0.50

Per Grand
Resoln

Dr. (Kishor
Jawan)

1/2

Dr

31/3/2010

Dr

2- उपरोक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर संबंधित विश्वविद्यालय के खाते में सीधे हस्तांतरित की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी। प्रोत्साहन अनुदान की धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा पूँजीगत मद में अनुमन्य कार्यों में ही व्यय की जा सकती है।


3- उक्त स्वीकृत अनुदान के बिल पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। स्वीकृत अनुदान का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

Rawal

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-सामान्य शिक्षा-203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-22-राज्य विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान-48-पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान" के नामें डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-883/दस-2010, दिनांक: 31 मार्च, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय



(सरोज कुमार यादव)
अनु सचिव।

संख्या-786(1)/सत्तर-4-2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, झॉंसी/लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/उच्च शिक्षा अनुभाग-3 (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सरोज कुमार यादव)
अनुसचिव

संख्या- 2255/सत्तर-4-2011-46(18)/2008

प्रेषक,

सरोज कुमार यादव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

- 1- बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
- 2- छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- 3- डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी.
वित्त अधिकारी कार्यालय
संख्या-4392 दिनांक 25-XI-11

u am

26/11

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2011

विषय:-विश्वविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2010-11 की उपलब्धियों के आधार पर वर्ष 2011-12 में प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2433/सत्तर-4-2008-40(18)/2008, दिनांक: 13 अगस्त, 2008 द्वारा प्रोत्साहन अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मानकों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल निम्नलिखित 03 विश्वविद्यालयों को उनकी समग्र शैक्षिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपलब्धियों के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के लिए उनके सम्मुख अंकित धनराशि रूपये 3.00 करोड़ (रूपये तीन करोड़ मात्र) प्रोत्साहन अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान	प्रोत्साहन अनुदान (करोड़ रूपये में)
1	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी	प्रथम	1.50
2	छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।	द्वितीय	1.00
3	डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद।	तृतीय	0.50

2- प्रोत्साहन अनुदान की धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा पूँजीगत मद में अनुमन्य कार्यों में ही व्यय की जायेगी। इन कार्यों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा तथा कार्य परिषद का अनुमोदन प्राप्त करके आगणन/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। आगणन का मूल्यांकन यथाआवश्यक नियमानुसार प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराने के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परियोजना की मूल्यांकित लागत से विश्वविद्यालय को संसूचित कर दिया जायेगा। धनराशि को व्यय किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3- उक्त स्वीकृत अनुदान के बिल पर संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। स्वीकृत अनुदान का उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है। इस अनुदान पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

4- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-73 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनेत्तर-01-सामान्य शिक्षा-203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-22-राज्य विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन अनुदान-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1767/दस-2011, दिनांक: 18.11.2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय



(सरोज कुमार यादव)


अनु सचिव।

संख्या-2255(1)/सत्तर-4-2011-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 4- संबंधित कोषाधिकारी, झॉंसी/कानपुर/फैजाबाद।
- 5- सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/
- 7- संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(सरोज कुमार यादव)
अनुसचिव